मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल, दिनांक 16 मई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषयः **मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612/1999, सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.2006 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों, अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में कार्यवाही बाबत्।**

सन्दर्भः सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. एफ 5–3/2004/एक/3, भोपाल, दिनांक 12.4.2005 ।

——00——

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3492/1996 हिमांचल प्रदेश सरकार विरूद्ध सुरेश कुमार वर्मा के प्रकरण में दी गई व्यवस्था अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, श्रमिकों के सिविल पदों एवं सेवाओं में नियमितीकरण पर रोक लगाकर नियमितीकरण के संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त निर्देशों/आदेशों को निरस्त किया गया है।

2/ मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612/1999, सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04. 2006 को निर्णय पारित कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुख्य अंशों की जानकारी परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। **मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावे। इस प्रकरण में दी गई व्यवस्था अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। मा. सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण** आदेश **http://supremecourtofindia. nic.in/** वेबसाईट पर उपलब्ध है, तथा (2006) **4 scc1** पर प्रकाशित है।

3/ मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार एवं इनके नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी **केवल एक ही बार के लिए** 10 वर्षो या अधिक से **नियमानुसार स्वीकृत पदों** पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों की **अनियमित नियुक्तियों** (Irregular appointments) को **{(अवैधानिक नियुक्तियों** (Illegal appointments) को नही)**}** नियमित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रकार के नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी। वर्तमान में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृत नियमित पदों, जहां पर अस्थाई कर्मचारी अथवा दैनिक वेतन भोगी भर्ती किए जा रहे हैं, वहां पर केवल भर्ती नियमों के अनुसार ही नियमित नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। **भविष्य में नियमितीकरण एवं स्थाई सेवा में लिए जाने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं एवं संविधान की मंशानुसार किए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।** मा. सर्वोच्च न्यायालय व्दारा यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियमितीकरण पूर्व में किया गया है एवं न्यायालयों में विचाराधीन नहीं है, ऐसे प्रकरणों को मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

4.1/ **अवैधानिक नियुक्ति** से तात्पर्य है कि – ''संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की, ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध न हो तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत नहीं होते हुए या नियुक्तिकर्त्ता को नियुक्ति के अधिकार नहीं होते हुए नियम/बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो।'' उदाहरणार्थ –

- पद स्वीकृत न होना
- आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर की गई भर्ती।
- नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा न होना।
- भर्ती नियम अनुसार अर्हता न होना।
- नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति।
- कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भर्ती की गई हो।

यह सूची उदाहरणस्वरूप है न कि पूर्ण है।

4.2/ **अनियमित नियुक्ति** से तात्पर्य है – ''ऐसी नियुक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 तथा 309 के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा नियुक्ति हेतु निर्मित नियमों में से किसी ऐसे नियम से हटकर नियुक्ति दी गई हो जो मूल आधार को प्रभावित

नहीं करता हो या नियमों के अभाव में प्रक्रिया अपनाए बिना या भर्ती के प्रक्रियागत नियमों का पालन किए बगैर की गई हो। प्रक्रिया का पालन किए बगैर जो नियुक्ति की गई हो वह अनियमित नियुक्ति की श्रेणी में आएगी। अर्थात् नियुक्त किया गया व्यक्ति पात्र तो है लेकिन भर्ती की कोई एक–दो तरह की सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाने से ऐसी भर्ती अनियमित नियुक्ति कहलाएगी।''

किसी पद पर नियुक्ति हेतु आधारभूत अर्हताओं को प्रभावित किए बगैर, सक्षम प्राधिकारी व्दारा किसी प्रक्रियागत नियमों का पालन किए बगैर स्वीकृत रिक्त पद के उपलब्ध होने पर अस्थायी, संविदा नियुक्ति अथवा किसी विशेष कार्य/योजना के निमित्त दैनिक वेतन पर अस्थायी नियुक्ति, संविदा नियुक्ति, स्थानापन्न नियुक्ति, उस पद के लिए वांछित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति दी हो तो वह अनियमित नियुक्ति कहलायेगी। उदाहरणार्थ–

- किसी प्रक्रियागत नियमों का उल्लंघन किया जाना जो मूलभूत आधार को प्रभावित न करता हो
- किसी नियम मात्र का उल्लंघन किया हो जो प्रक्रियागत ऐसी त्रुटि न हो कि मूल आधार को ही प्रभावित करती हो।

5/ पैरा –3 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है एवं निम्नानुसार कार्यवाही **केवल एक ही बार के लिए** सुनिश्चित की जावे :–

5.1 दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में प्रत्येक विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा **मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर** ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई जाकर पैरा 5.2 अनुसार **छानबीन समिति को प्रस्तुत की जावे, जो–**

- 10 वर्ष से अधिक से निरंतर सेवारत हैं किंतु इनमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं किए जावें, जो न्यायालय/न्यायिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत हों,
- जिन्हें स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध रखा गया है,
- जिस पद पर रखा गया है उस पद की भर्ती नियमों के अनुसार अर्हता रखता हो,
- जिस समय रखा गया उस समय शासन के आदेशानुसार निर्धारित आयु सीमा हो,
- जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों अनुसार सक्षम प्राधिकारी व्दारा की गई हो,
- जिस वर्ग (अजा/अजजा/पिछड़ वर्ग/अनारक्षित) का रिक्त पद है वह उसी वर्ग से संबंधित हो,

- जो अभी न्यायालयीन स्थगन के आधार पर सेवारत न हो।
- **विभागाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि यह सूची मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं उक्त निर्देशों के अनुरूप हो।**

5.2 संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक विभाग द्वारा एक छानबीन समिति गठित की जावे, (जिसमें संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव/सचिव के मत में आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों) तथा सामान्य प्रशासन, वित्त एवं विधि विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य रखा जावे। यह समिति पैरा–3 से पैरा–5 के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में ऐसे प्रकरणों की छान–बीन करेगी जो विभागाध्यक्ष व्दारा पैरा– 5.1 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

5.3 **नीचे उल्लेखित कंडिका–12 की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत** छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी व्दारा नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी। **यह नियमितीकरण जारी आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा। पूर्व की सेवा, पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के लिए इस हेतु मान्य नहीं होगी। नियमितीकरण होने पर नियमितीकण के आदेश के दिनांक से संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन से वेतनमान आरंभ होगा।**

5.4 छानबीन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमितीकरण केवल अनियमित नियुक्त (Irregular Appointed) का ही किया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अवैधानिक नियुक्त (Illegal Appointed) पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

5.5 नियमितीकरण नियमानुसार स्वीकृत नियमित पद, जिस वर्ग के लिए रिक्त है एवं जिसके विरूद्ध उसी संवर्ग का दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारी जो 10 वर्ष या अधिक से कार्यरत हैं, पर ही किया जाना है, अन्य पर नहीं। जो पद भर्ती नियम में संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध है उन पर नियमितीकरण नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार नियमितीकरण के लिए शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष एवं नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

5.6 10 वर्षों की सेवा की गणना में उन दैनिक वेतनभोगी/अस्थायी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जावे, जिनका न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा सेवारत रखे जाने का आदेश पारित किया गया है, एवं प्रकरण अभी विचाराधीन है।

5.7 दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारी लंबी अवधि से कार्य कर रहे हैं एवं सामान्यतः इन कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन भी नहीं रखे जाते हैं, जिसके आधार पर इनके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। ऐसी स्थिति में कोई

लिखित परीक्षा या साक्षात्कार लेने की आवश्यकता नहीं है। चयन सूचियां यह मानकर तैयार की जावें कि इनका कार्य संतोषजनक रहा है, बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कोई आपत्तिजनक स्थिति प्रकाश में नहीं आई हो। आपत्तिजनक स्थिति ध्यान में आने पर नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जावे।

5.8 संबंधित पद की नियुक्ति के लिए नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं अनिवार्य होगी। जिन व्यक्तियों के पास निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं, उन पर विचार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह नियुक्ति आरंभ से ही अवैधानिक है।

5.9 उपरोक्तानुसार नियमित व्यक्ति की विभाग में ज्येष्ठता नियमितीकरण के आदेश की तारीख से मानी जाएगी अर्थात उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा, जो ऐसे व्यक्ति को नियमित नियुक्ति किए जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त किया गया था।

5.10 वरिष्ठताक्रम निर्धारित करते समय यदि 2 व्यक्तियों की सेवा अवधि समान हो तो उनमें से जो आयु में अधिक होगा उसको वरिष्ठ माना जावेगा।

5.11 भविष्य में भर्ती नियमों के अनुसार नियमित पदों पर केवल नियमित नियुक्ति ही की जावे। नियमित पदों पर दैनिक वेतन भोगी/संविदा आदि से नियुक्ति न की जावे।

5.12 भविष्य में कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की अस्थायी या संविदा नियुक्ति किसी विशेष कार्य हेतु, समय विशेष के लिए भी आकस्मिक नियुक्ति, करना हो तो भी भर्ती के सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए ही भर्ती की जावे, जिससे सभी योग्य लोगों को प्रतिस्पर्द्धा का मौका मिल सके।

6/ समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा इन निर्देशों की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में पैरा 5.1 अनुसार दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों की सूची विभागीय छानबीन समिति को प्रस्तुत की जावेगी।

7/ समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा छानबीन समिति को सूची प्रस्तुत होने के पश्चात् 15 दिवस की अवधि में छानबीन समिति प्रस्तुत सूची पर इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपना अभिमत देना सुनिश्चित करें।

8/ उपरोक्त पैरा–7 अनुसार तैयार की गई विभागाध्यक्षवार इकजायी जानकारी समस्त विभाग **दिनांक 30 जून, 2007** तक सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–3) को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

9/ सभी विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण कर ली गई है। **उपरोक्तानुसार कार्यवाही केवल एक समय के लिए सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी।**

10/ मा. सर्वोच्च न्यायालय व्दारा शासन के नियंत्रणाधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी के व्दारा भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव उनके नियंत्रणाधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी स्तर पर मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय स्तर से निर्देश जारी करेंगे एवं इस हेतु इन संस्थाओं के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेंगे, ताकि सर्वोच्च न्यायालय का इन संस्थाओं में पालन हो सके। इसके लिए विभाग स्तर पर 5.2 के अनुसार छानबीन समिति प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित की जावे।

11/ परिपत्र की कंडिका'–8 की जानकारी प्रपत्र ''**एक**'' में तथा कंडिका– 10 की जानकारी प्रपत्र ''**दो**'' में प्रेषित की जाए।

12/ विभागों से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मंत्रि–परिषद निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यवाही हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जावेगें। **इसके पूर्व कोई भी विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं करेंगे।**

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल, दिनांक 16 मई, 2007

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/ अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण / अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.